

नविश प्रोत्साहन नीतिकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2023 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सहि ने प्रत्यक्ष वदिशी नविश (एफडीआई) और फार्चयून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिये बनाई गई नविश प्रोत्साहन नीति (एफडीआई पालिसी) की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी।

प्रमुख बदि

- जारी एसओपी के अनुसार यह एफडीआई पालिसी एक नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर, 2028 तक प्रभावी रहेगी।
- फार्चयून 500 में फार्चयून ग्लोबल 500 और फार्चयून इंडिया 500 कंपनियों को शामिल किया गया है।
- नविशकों को पाँच साल बजिली के बलि में सौ फीसदी छूट तथा स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण में 50 से 100 फीसदी छूट मिलेगी। इसके अलावा ज़मीन पर भी 75 से 80 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- नविशकों को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण में छूट गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 50 फीसदी, मध्यांचल, पश्चिमांचल में 75 फीसदी और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 100 फीसदी होगी। सब्सिडी के एवज में नविशक को उतनी ही रकम की बैंक गारंटी देनी होगी।
- विकास प्राधिकरणों से ज़मीन लेने पर स्टांप छूट के लिये शासन द्वारा नविशक को एक पत्र दिया जाएगा। नजिी डेवलपर से ज़मीन खरीदने पर इनवेस्ट यूपी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। औद्योगिक उत्पादन शुरू होने के बाद स्टांप व पंजीकरण शुल्क की प्रतपूर्ति कर दी जाएगी।
- एफडीआई के तहत नविशकों को ज़मीन पर न्यूनतम 75 फीसदी से 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। कुछ मामलों में ये 80 फीसदी से भी ज्यादा हो सकती है। इसकी समीक्षा सात दिन के अंदर इनवेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति करेगी। इस रिपोर्ट को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के नेतृत्व में गठित प्राधिकार समिति के सामने पेश किया जाएगा।
- समिति 15 दिन में प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर देगी। प्राधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार होने पर संबंधित विकास प्राधिकरण के लिये पत्र जारी किया जाएगा। यदि नविशक दी गई नविश अवधि के अंदर उत्पादन शुरू नहीं करता है तो 12 फीसदी ब्याज के साथ ज़मीन वापस ले ली जाएगी।
- सब्सिडी प्राप्त करने के लिये जरूरी लेटर आफ कम्फर्ट को नविशकों को कंपनी से जुड़े 11 दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
- **नविश के लिये अवधि-**
 - 100 से 200 करोड़ रुपए के नविश में उत्पादन अधिकतम 4 साल में शुरू करना होगा।
 - 200 से 500 करोड़ रुपए के नविश में उत्पादन अधिकतम 5 साल में शुरू करना होगा।
 - 500 से 3000 करोड़ रुपए के नविश में उत्पादन अधिकतम 7 साल में शुरू करना होगा।
 - 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा नविश में उत्पादन अधिकतम 9 साल में शुरू करना होगा।